

**न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)**  
**(समक्ष : विकाश शुक्ला)**

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0-124ए/13

फाईल. क्र. 230301032712013

संस्थापित दिनांक- 05.07.2013

धर्मसहाय पुत्र आशाराम उम्र 45 वर्ष  
निवासी ग्राम दैपरा तहसील अटेर जिला  
भिण्ड म0प्र0

..... वादी

**वि रु द्ध**

1. फतेहसिंह पुत्र चतुरीसिंह बघेल उम्र 55 वर्ष  
निवासी ग्राम दैपरा तहसील अटेर जिला  
भिण्ड म0प्र0
2. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड  
म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

---

वादी - द्वारा :- श्री, श्याम शरण मेहरोत्रा अधिवक्ता  
प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा :- श्री नरेश सिंह बघेल अधिवक्ता  
प्रतिवादी क्रमांक 2 अनुपस्थित, पूर्व से एक पक्षीय।

---

(// निर्णय //)

**(आज दिनांक 04/07/2014 को पारित किया गया)**

1. यह वाद ग्राम देपुरा परगना अटेर जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 219 क्षेत्रफल 0.46 वि0 (अत्र पश्चात वादग्रस्त भूमि) के संबंध में स्वत्व घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. वादपत्र के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 7 विश्वा जमीन को जबरन जोत लिया तथा वादी के द्वारा मना करने पर झगडा करने को तैयार हो गये है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि पर एक वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया था तथा दिनांक 24.06.2013 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने झगडा किया और जब वादी रिपोर्ट करने अटेर गया तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई संबंध नहीं है तथा

जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व है। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 किसी प्रकार से हस्ताक्षेप न करे।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद पत्र के समस्त अभिवचनों को सारतः अस्वीकार करते हुये अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि नहीं है, बल्कि सर्वे क्रमांक 219 एवं 166 वादी के पिता आशाराम एवं ताउ दुर्गाई तथा उसके पिता चतुरी के समान भाग की शामिलाली भूमि है, जिसके 1/3 भाग पर उसका पूर्वजों के समय से आधिपत्य है एवं कभी कोई झगडा नहीं हुआ। वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है, क्योंकि वाद ग्रस्त भूमि की बाजारू की कीमत दस लाख रुपये है। वादी के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता तथा दुर्गाई आपस में सगे भाई है। उनके पिता का नाम देवी सिंह तथा सबसे बड़े पुत्र दुर्गाई, उसके बाद आशाराम व सबसे छोटे चतुरी है। दुर्गाई के सबसे बड़े भाई होने के कारण वह कर्ता खानदान थे और मौजा देपुरा का सर्वे क्रमांक 217 रकवा एक बीघा एक विश्वा, सर्वे क्रमांक 223 रकवा तीन बीघा चार विश्वा एवं सर्वे क्रमांक 274 रकवा दो बीघा चार विश्वा संवत् 2007 में जमीदार पुत्तू सिंह आदि की भूमि पर गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज हुई और तीनों शामिल सरीक रहते थे तथा वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित संपत्ति है एवं उस पर तीनों भाईयों का स्वत्व एवं आधिपत्य है। आशाराम ने 1/3 भाग राजस्व अभिलेख में अपने नाम करा लिया, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम भूमि नहीं हुई। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं वादी तथा महाराज सिंह एवं छोटे लाल के चाचा देवी सिंह के नाम आराजी मौजा देपुरा के सर्वे क्रमांक 217, 223, 274 पर देवी सिंह का नाम है, जो जमीदारी काल से है तथा दुर्गाई का अकेले नाम सहवनवश लेख हुआ है, जब कि उस पर दुर्गाई, आशाराम व चतुरी का समान भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य है तथा बंदौवस्त पश्चात उक्त सर्वे क्रमांक 219 एवं 166 पर दर्ज है जिस पर वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा महाराज सिंह व छोटे लाल का 1/3 हिस्सा है। इस प्रकरण में दुर्गाई के पुत्र महाराज सिंह व छोटे लाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वह सह हिस्सेदार है, जिससे दावे में असंयोजन का दोष विद्यमान है। अतः वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 2 के विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही हुई है।

5. उभयपक्ष के अभिवचन एवं दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित हैं:-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी विवादित आराजी क्रमांक 219 रकवा 0.46 स्थित मौजा देपुरा का स्वत्वधारी है?	
2	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में अविधिक रूप से हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है?	
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विवादित आराजी में से 7 विश्वा रकवा पर अवैध रूप से आधिपत्य कर लिया है?	
4	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?	
5	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है?	
6	सहायता एवं खर्चे ?	

### सकारण निष्कर्ष

#### वाद प्रश्न क्रमांक -:: 1 ::-

6. इस संबंध में वादी धर्मसहाय वा.सा.1 का कथन है कि ग्राम देपुरा परगना अटेर में उसके स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी क्रमांक 219 रकवा 0.46 विश्वा स्थित है तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में उसके नाम अंकित है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त भूमि को जोत लिया है। उसके द्वारा प्रकरण में विक्रय पत्र दिनांक 11.6.1968 प्र.पी. 01 प्रस्तुत किया गया है, जो कि उसके पिता आशाराम ने दुर्गई से आराजी क्रमांक 274 के संबंध में कराया था। उक्त आराजी का नया नंबर 219 रकवा 0.46 विश्वा है। उसके पिता की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि उसके नाम पर आई थी। उसने भू अधिकार एवं ऋणपुस्तिका प्र.पी.2 प्रस्तुत की है।

7. महाराज सिंह वा.सा.2 ने कथन किया है कि उसके पिता दुर्गई ने आशाराम के हक में बयनामा दिनांक 11.6.68 किया था, जो कि आराजी क्रमांक 219 रकवा 0.46 से संबंधित था।

8. प्रतिवादी फतेहसिंह प्र.सा.1 का कथन है कि देवी सिंह के द्वारा छोड़ी हुई भूमि पर उसे 1/3, धर्मसहाय को 1/3 तथा महाराज सिंह व छोटे लाल को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ था। वादग्रस्त भूमि देवीसिंह से दुर्गई, आशाराम व चतुरी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई, परंतु दुर्गई के बड़े होने के कारण मौरुषी कृषक के रूप में उनका नाम लेख हो गया तथा आशाराम व चतुरी का नाम छूट गया, परंतु उक्त भूमि के मालिक आशाराम व चतुरी भी रहे। वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त मौजा देपुरा में आराजी क्र. 273 एवं 1306 भी

है जो कि पूर्व में देवी सिंह तथा उनके पश्चात दुर्गई, आशाराम व चतुरी को प्राप्त हुये एवं वर्तमान में वादी तथा प्रतिवादी महाराज सिंह छोटेलाल एवं फतेहसिंह उक्त भूमि के मालिक है एवं राजस्व अभिलेख में उनका नाम इंद्राज है। उसने प्रकरण में मौजा देपुरा की आराजी क्र. 217, 223, 273, 1275, 1276, 1306 के खसरा संवत 1999 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.1 आराजी क्र. 273, 1306 की संवत 2020-24 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.2 एवं मौजा देपुरा में वर्ष 1996-97 में हुये बंदौवस्त में आराजी क्र. 274 के स्थान पर नवीन आराजी क्र. 219 एवं आराजी क्रमांक 217 एवं 223 के स्थान पर नवीन आराजी सर्वे क्र. 166 एवं 1299 एवं 1295 के स्थान पर नवीन आराजी सर्वे क्रमांक 1167 एवं 1170 तथा 273 एवं 1306 के स्थान पर बने नवीन आराजी सर्वे क्र. के अधिकार अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.3 प्रस्तुत की है।

9. करन सिंह प्र.सा. 2 का कथन है कि फतेहसिंह, धर्मसहाय, छोटेलाल व महाराज सिंह की जमीन का कोई वटवारा नहीं हुआ है, शामिल सरीक खेती कर रहे है। देवी सिंह व दुर्गई के नाम भूमि पुश्तैनी है एवं उक्त भूमि पर फतेहसिंह, धर्मसहाय तथा छोटेलाल व महाराज सिंह का 1/3 मालिकाना हक है। कदम सिंह प्र.सा.3 ने भी सारतः इसी प्रकार कथन किये है।

10. वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्वयं के स्वत्व की भूमि इस आधार पर बताया गया है कि उक्त भूमि उसके पिता आशाराम ने दुर्गई से 11.6.1968 को विक्रय पत्र प्र.पी.1 के माध्यम से क्रय की थी। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के उक्त कथन को कोई चुनौती इस संबंध में नहीं दी गई है कि वादग्रस्त भूमि को वादी के पिता के द्वारा दुर्गई से विक्रय पत्र दिनांकित 11.6.1968 प्र. पी.1 के माध्यम से क्रय किया गया था। विक्रय पत्र प्र.पी.1 के अवलोकन से प्रकट है कि सर्वे क्रमांक 274 दुर्गई के द्वारा दिनांक 11.6.68 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से आशाराम को विक्रय की गई। उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अभिलेख पर इस संबंध में कोई खण्डन नहीं है कि भूमि सर्वे क्रमांक वादी के पिता आशाराम ने दुर्गई से क्रय की थी। प्रतिवादी फतेहसिंह प्र.सा.1 के द्वारा ही मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में यह कथन किया है कि उसने प्र.डी.3 का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट है कि सर्वे क्रमांक 274 का नवीन सर्वे क्रमांक 219 है। इस प्रकार विक्रय पत्र प्र.पी.1 के अखण्डित रहने के कारण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर यह साबित है कि वादी के पिता ने वादग्रस्त भूमि को दुर्गई से क्रय किया था।

11. प्रतिवादी की ओर से इस प्रकरण में उक्त विक्रय पत्र को इस आधार पर चुनौती दिया जाना दर्शित है कि दुर्गई को वादग्रस्त भूमि आशाराम को विक्रय किये जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उक्त भूमि देवीसिंह से उनके पुत्र दुर्गई, चतुरी एवं आशाराम को समान भाग में प्राप्त हुई थी, परंतु दुर्गई ने उक्त भूमि स्वयं के नाम करा ली। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत खसरा संवत 1999 प्र.डी.1 के अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि का पूर्व का सर्वे

क्रमांक 274 का भूमि स्वामी उपरोक्त वर्षों में पुत्तू सिंह था। खसरा संवत् 2020 से 2024 प्र.डी.2 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त खसरा वादग्रस्त भूमि से संबंधित नहीं है तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1996-97 प्र.डी.3 के अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि उक्त वर्षों में वादी धर्मसहाय के नाम अंकित है। इस प्रकार वादी की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उनसे ऐसा प्रकट नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी प्रतिवादी के पिता देवीसिंह के स्वामित्व की भूमि रही हो और देवीसिंह की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि दुर्गई को प्राप्त न हुई हो। इस प्रकार प्रतिवादी की ओर से जो अभिवचन एवं साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उनका प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से समर्थन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि दुर्गई को वादग्रस्त भूमि विक्रय किये जाने का अधिकार नहीं था।

12. अतः वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विक्रय पत्र प्र.पी.1 से इस संबंध में समर्थन होता है कि वादग्रस्त भूमि का स्वामी वादी है तथा वादी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः यह साबित है कि वादी विवादित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 219 क्षेत्रफल 0.46 स्थित मौजा देपुरा का स्वत्वधारी है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 1 निराकृत किया जाता है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक -:: 2 ::-

13. इस वाद प्रश्न के संबंध में वादी के अभिवचनों को देखा जाये तो उसने अभिवचन के पद क्रमांक 2 में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि के सात विश्वा पर एक वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया। वादी धर्मसहाय वा.सा.1 ने अभिवचनों के अनुरूप ही कथन करते हुये बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उसकी वादग्रस्त भूमि के 7 विश्वा पर कब्जा कर लिया है। साथ ही वादी का ऐसा अभिवचन नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा 7 विश्वा भूमि के अतिरिक्त उसकी शेष भूमि पर उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में जबकि वादी के अनुसार ही वादग्रस्त भूमि के 7 विश्वा पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का पूर्व से आधिपत्य है तथा शेष के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा आधिपत्य में हस्तक्षेप किये जाने का वादी का मामला नहीं है, तब यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित आराजी में वादी के कब्जे काशत में अविधिक रूप से हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है। अतः यह साबित नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित आराजी में वादी के कब्जे काशत में अविधिक रूप से हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 2 निराकृत किया जाता है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक -:: 3 ::-

14. इस वाद प्रश्न के संबंध में वादी ने वाद पत्र के पद क्रमांक 1 में यह

अभिवचन किया है कि उसके आधिपत्य के सर्वे क्रमांक 219 क्षेत्रफल 0.46 विश्वा पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आधिपत्य कर लिया है। वादी धर्मसहाय वा. सा.1 ने तत्संबंध में यह कथन भी किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लट्ट के बल पर कब्जा कर लिया है। वादी के इस संबंध में अभिवचन एवं कथन का कोई खण्डन नहीं है कि वादग्रस्त भूमि के 7 विश्वा पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आधिपत्य नहीं किया है, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 1 फतेहसिंह प्र.सा.1 एवं उसके साक्षीगण ने भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का आधिपत्य होना बताया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का आधिपत्य होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। वाद प्रश्न क्रमांक 1 के विवेचन के आधार पर यह साबित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व है, तब ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के 7 विश्वा पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के आधिपत्य को अवैध रूप से किया गया आधिपत्य ही माना जावेगा। अतः यह साबित है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विवादित आराजी में से 7 विश्वा रकवा पर अवैध रूप से आधिपत्य कर लिया है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 3 निराकृत किया जाता है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक -:: 4 ::-

15. यह वाद प्रश्न प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वाद पत्र के पद क्रमांक 12 में किये गये इस अभिवचन के आधार पर निर्मित किया गया है कि वादी के द्वारा दुर्गई के पुत्र महाराज सिंह व छोटे लाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि किस प्रकार महाराज सिंह एवं छोटेलाल इस मामले में आवश्यक पक्षकार थे और उनके पक्षकार बनाये बिना प्रभाव पूर्ण डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। इसके विपरीत वाद प्रश्न क्रमांक 1 के विवेचन के आधार पर यह साबित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि को वादी के पिता ने विक्रय पत्र के माध्यम से दुर्गई से कय की थी, तो दुर्गई उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि का एक मात्र स्वामी था और दुर्गई की मृत्यु के उपरांत वादग्रस्त भूमि वादी को प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उससे स्वत्वों को इंकार किया एवं उसकी भूमि के कुछ हिस्से पर आधिपत्य किया, जिस कारण उसने प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा महाराज सिंह व छोटेलाल को पक्षकार न बनाये जाने से कोई दोष विद्यमान नहीं रहता है। अतः यह साबित नहीं है कि इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 4 निराकृत किया जाता है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक -:: 5 ::-

16. इस वाद प्रश्न के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 का अभिवचन है कि

वादग्रस्त आराजी की बाजारु कीमत दस लाख रुपये से अधिक है तथा वादी ने बाजारु मूल्य के आधार पर मूल्यांकन व न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि का बाजारु मूल्य दस लाख रुपये से अधिक होने के संबंध में कोई ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वादग्रस्त भूमि का बाजारु मूल्य दस लाख रुपये से अधिक है। इसके विपरीत वादी ने वादग्रस्त भूमि के लगान के आधार पर घोषणा हेतु एवं कब्जा वापसी हेतु 2000/- वाद का मूल्यांकन करते हुये स्वत्व घोषणा हेतु निश्चित न्यायालय शुल्क 500 रुपये तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 100 रुपये एवं कब्जा वापसी हेतु 240 रुपये अदा किया है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है एवं वादी के द्वारा उक्त भूमि के लगान के 20 गुने के आधार पर वाद का मूल्यांकन किया गया है, जो कि वाद मूल्यांकन अधिनियम के अंतर्गत उचित है तथा वादी के द्वारा वाद पत्र पर वांछित सहायता अनुसार अदा किया गया न्यायालय शुल्क पर्याप्त है। अतः यह साबित है कि वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 5 निराकृत किया जाता है।

#### वाद प्रश्न क्रमांक -:: 6 ::-

17. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर साक्ष्य की अधिसंभावनाओं की प्रबलता को दृष्टिगत रखते हुये वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वत्व है, परंतु यह साबित करने में असफल रहा है कि वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस वाद में वादी के द्वारा वाद पत्र के पद क्रमांक 4 में कब्जा वापसी हेतु वाद का मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क चस्पा किया है, परंतु कब्जा वापसी हेतु वाद पत्र में कोई सहायता नहीं चाही है। वादी द्वारा चूंकि कब्जा वापसी हेतु कोई सहायता नहीं चाही है, ऐसी स्थिति में उसे कब्जा वापसी की सहायता नहीं दिलाई जा सकती, यद्यपि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अवैध आधिपत्य किया जाना साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त भी यदि विवक्षित रूप से यह मान भी लिया जावे कि वादी के द्वारा कब्जा वापसी की सहायता चाही गई है, तब भी वादी ने यह अभिवचन किया है कि उसकी 7 विश्वा भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कब्जा कर लिया है, परंतु वादग्रस्त भूमि के कौनसे 7 विश्वा विनिर्दिष्ट भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आधिपत्य किया है, इसके संबंध में वादी के द्वारा न तो वाद पत्र के साथ कोई नक्शा पेश किया गया और न ही प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा कब्जा की जाने वाली भूमि की कोई चतुर्सीमा वाद पत्र में बताई है। ऐसी स्थिति में भी वादी को कब्जा वापसी की सहायता नहीं दिलाई जा सकती क्योंकि वादी के अभिवचन एवं साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि वादग्रस्त भूमि के कौन से विनिर्दिष्ट भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कब्जा किया है। इस संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **श्यामलाल विरुद्ध फुलियावाई 2004 (3) एम.पी.एच.टी. 25 (एन. ओ.सी.)** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पर किसी प्रकरण में अभिलेख पर वादग्रस्त संपत्ति की पहचान स्थापित नहीं है, वहां पर अस्पष्ट

स्थावर संपत्ति के संबंध में कब्जे की डिक्री पारित नहीं की जा सकती। अतः यह वाद स्वत्व घोषणा के संबंध में अंशतः स्वीकार किया जाता है तथा शेष सहायता के संबंध में अंशतः निरस्त किया जाता है। परिणामतः वाद अंशतः स्वीकार करते हुये निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है कि : -

1. ग्राम देपुरा परगना अटेर जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 219 क्षेत्रफल 0.46 वि० पर वादी का स्वत्व है।
2. वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निरस्त किया जाता है।
3. वादी तथा प्रतिवादी स्वयं का वाद व्यय वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर वाद मूल्य के अनुसार की राशि पर अनुसूची अनुसार न्यूनतम सीमा तक जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आज्ञा तैयार की जावे।

(विकाश शुक्ला)  
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

निर्णय आज दिनांक- 04/07/2015 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)  
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)